सर्वोच्च प्राथमिकता/तत्काल/समयबद्ध/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः–11फ/2019–20/1801

लखनऊः दिनांक 07 जून, 2019

विषयः–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में अधिनियम के कियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट संबंधी सूचनाएं/सामग्री उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उपायुक्त, न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–555/67/रा0आ0दि0ज0/2018, दिनांक 23.05.2019 के साथ मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–1/सीसीडी/2018/एआर/आर–16017, दिनांक 12.04.2019(छायाप्रतियां संलग्न) का संलग्न प्रेषित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बिन्दु–5, 6, 7, 8, 14, 20, 22(1 से 8 तक), 32(2) की अपेक्षित सूचनायें संलग्न निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, को संदर्भित करने का कष्ट करें।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि **प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना तत्काल/आज ही ई–मेल–director.medical.care.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–**

बिन्दु संख्या–5 Whether Medical Authorities have been notified for issuance of Disability Certificates in each District and PHC/CHC of the District:	
बिन्दु संख्या–6 Number of District and PHCs/CHCs where Medical Authority has not been constituted:	
बिन्दु संख्या–7 **Total Number of Disability Certificates issued in the District:**	
बिन्दु संख्या–8 **Number of Disability Certificates issued during the Financial Year (i.c. 01-04-2018 to 31-03-2019)**	
बिन्दु संख्या–14 Whether formulation of State Policies for Cornea Replacement & Cochear Implant for visually impaired & Hearing Impaired Children at an early stage?	
बिन्दु संख्या–20 Whether special drive to issue UDID Cards to Divyangjan in the District?	
बिन्दु संख्या–22 **Action taken for Prevention and Early Detection of Disabilities:-**	
(i) Were any surveys undertaken for detecting causes of occurrence of disabilities? If yes, when and where?	
(ii) Number of districts covered?	
(iii) Whether all chidren are being screened for identifying at risk cases?	
(iv) Measures taken to prevent disabilities?	
(v) Number of persons benefited in the District (District/Block wise):	
(vi) What action is being taken for creating awareness on health, hygiene, sanitation:	
(vii) Whether staff at Primary Health Center are trained on prevention and carly detection fo disabilities?	
(viii) What measures or pre-natal, para-natal, post-natal care of mother and child are being taken?	

कृपया उक्त का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

पत्रांकः–11फ/2019–20/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपायुक्त, न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, निकट राजकीय इण्टर कालेज, जे.बी.टी.सी. कम्पाउन्ड, विद्या भवन के अन्दर, निशातगंज, लखनऊ–226007
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त का अनुपालन अपने स्तर से भी **तत्काल/आज ही** कराना सुनिश्चित करें।
3. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0, लखनऊ।

(सविता भट्ट)
निदेशक(चिकित्सा उपचार)

सर्वोच्च प्राथमिकता/तत्काल/समयबद्ध/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः–11फ/2019–20/

लखनऊः दिनांक 07 जून, 2019

विषयः–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में अधिनियम के कियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट संबंधी सूचनाएं/सामग्री उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उपायुक्त, न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–555/67/रा0आ0दि0ज0/2018, दिनांक 23.05.2019 के साथ मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–1/सीसीडी/2018/एआर/आर–16017, दिनांक 12.04.2019(छायाप्रतियां संलग्न) का संलग्न प्रेषित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बिन्दु–5, 6, 7, 8, 14, 20, 22(1 से 8 तक), 32(2) की अपेक्षित सूचनायें संलग्न निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, को संदर्भित करने का कष्ट करें।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि **प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना तत्काल/आज ही ई–मेल–director.medical.care.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–**

बिन्दु संख्या–5 Whether Medical Authorities have been notified for issuance of Disability Certificates in each District and PHC/CHC of the District:	
बिन्दु संख्या–6 Number of District and PHCs/CHCs where Medical Authority has not been constituted:	
बिन्दु संख्या–7 **Total Number of Disability Certificates issued in the District:**	
बिन्दु संख्या–8 **Number of Disability Certificates issued during the Financial Year (i.c. 01-04-2018 to 31-03-2019)**	
बिन्दु संख्या–14 Whether formulation of State Policies for Cornea Replacement & Cochear Implant for visually impaired & Hearing Impaired Children at an early stage?	
बिन्दु संख्या–20 Whether special drive to issue UDID Cards to Divyangjan in the District?	
बिन्दु संख्या–22 **Action taken for Prevention and Early Detection of Disabilities:-**	
(i) Were any surveys undertaken for detecting causes of occurrence of disabilities? If yes, when and where?	
(ii) Number of districts covered?	
(iii) Whether all chidren are being screened for identifying at risk cases?	
(iv) Measures taken to prevent disabilities?	
(v) Number of persons benefited in the District (District/Block wise):	
(vi) What action is being taken for creating awareness on health, hygiene, sanitation:	
(vii) Whether staff at Primary Health Center are trained on prevention and carly detection fo disabilities?	
(viii) What measures or pre-natal, para-natal, post-natal care of mother and child are being taken?	

कृपया उक्त का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पदमाकर सिंह)
महानिदेशक

पत्रांकः–11फ/2019–20/ 1802-04 तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपायुक्त, न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, निकट राजकीय इण्टर कालेज, जे.बी.टी.सी. कम्पाउन्ड, विद्या भवन के अन्दर, निशातगंज, लखनऊ–226007
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त का अनुपालन अपने स्तर से भी **तत्काल/आज ही** कराना सुनिश्चित करें।
3. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0, लखनऊ।

(सविता भट्ट)
निदेशक(चिकित्सा उपचार)

New DMC Letter 2019-20

न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश

{दिव्यांगजन अधिनियम-2016 की धारा 82 के अधीन}

पत्रांक 555/67/रा.आ.दि.ज./2018

लखनऊ, दिनांक : 23/5/2019

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

विषयः—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के अन्तर्गत वर्ष 2018—19 में अधिनियम के कियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट सम्बन्धी सूचनाएं/सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस न्यायालय/कार्यालय को प्राप्त मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8—1/सीसीडी/2018/एआर/आर—16017 दिनांक 12—04—2019 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वर्ष 2018—19 (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक) में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के कियान्वयन सम्बन्धी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 20—06—2019 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उ0प्र0 द्वारा समस्त सूचनाओं को संकलित करते हुये मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 15—06—2019 तक प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त के कम में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12—04—2019 की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न करते हुये आपसे अनुरोध है कि कृपया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के कियान्वयन के सम्बन्ध में आपके विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं एवं अन्तर्बिन्दुओं सं0 5,6,7,8,14,20,22(1 से 8 तक),32(2) की अपेक्षित सूचनाएं निर्धारित संलग्न प्रारूप पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस न्यायालय/कार्यालय को दिनांक 10—06—2019 तक डाक द्वारा अथवा कार्यालय मेल आईडी commissioner1998@rediffmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि वार्षिक रिपोर्ट का समयान्तर्गत प्रेषण किया जा सके।

संलग्नः—यथोक्त

(शैलेन्द्र कुमार सोनकर)
उपायुक्त
कृते आयुक्त

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः—

1— मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 8—1/सीसीडी/2018/एआर/आर—16017 दिनांक 12—04—2019 के कम में सूचनार्थ।

2— संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन, अनु0—03, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक, चिकित्सा उपचार शिविर
डायरी नं0 2124
दिनांक 29/5/19

(शैलेन्द्र कुमार सोनकर)
उपायुक्त
कृते आयुक्त

निकट राजकीय इण्टर कालेज, जे.बी.टी.सी. कम्पाउन्ड, विद्या भवन के अंदर, निशातगंज, लखनऊ -226007 दूरभाष - 0522-2780911, 2780411
E-mail : info@commissionerdisbilitiesup.in

सत्यमेव जयते

कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार/Government of India

No. 8-1/CCD/2018/AR R-16017

Date: 12th April 2019

To,

Shri Satish Kumar Srivastava
Commissioner for Persons with Disabilities,
Uttar Pradesh, Near Rajkiya Inter College,
JBTC Compound, Vidhya Bhawan, Nisatganj,
Lucknow - 226007

DC-VI
Pl discuss
16/4

Subject: **Matter for inclusion in the Annual Report of the O/o Chief Commissioner for Persons with Disabilities for the Year 2018-2019 reg.**

Sir/Madam,

As per the Section 78 of the Rights of Persons with Disability Act, 2016, the Annual Report of this office highlighting the action taken by the State Governments for effective implementation of the RPwD Act 2016. For this purpose, the following information in respect of your State for the year 2018-19 may please be provided on urgently basis:

- ❐ Summary of Section-wise implementation of RPwD Act by your State/UT. (format enclosed).
- ❐ Details of Disability Certificates issued (Point7– 8) of the format enclosed.
- ❐ Report on Coordination and monitoring of utilization of funds by State Commissioner during the year 1st April 2018 to 31st March 2019 (format enclosed).
- ❐ Status of Complaints received and disposed off (format enclosed). Highlights of a few important cases may also be given.
- ❐ Various schemes/Programmes being conducted for persons with disabilities as on 31.03.2018 in the State/UT (Format enclosed). The scheme that has come into effect after the last report may be highlighted. Special achievements, pioneering work if any done should be specifically highlighted/mentioned in bold letters.
- ❐ Summary of initiatives taken for implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 by the State/UTs Commissioner and special highlights.
- ❐ A copy of the Annual Report of the State Commissioner office required to be submitted to the State Government/Legislature under Section 83 of the RPwD Act 2016.
- ❐ Mobile Courts organized during the year (Complaints received, disposed off during the year).
- ❐ Monitoring of NGO's carried out by SCPD office.

Cont....P/2

- ❐ Review of DSWO's/District level offices carried out by SCPD office on implementation of Programmes for disabled persons.

2. Since the Annual Report for the year under reference is to be compiled, printed and submitted to Ministry of Social Justice & Empowerment by **September 2019**, it is, therefore, requested that the requisite information may please be furnished in the prescribed format wherever applicable by **20.06.2019** positively both in **soft (through e-mail) and hard copies (by post)** to this office.

3. Kindly also indicate complete postal address with pin code, Tel. (office & residence), fax, e-mail and the website of the Office of the Commissioner for Persons with Disabilities along with Name of the State/UTs Commissioner indicating Independent Charge or holding Additional Charge.

4. This communication alongwith the enclosure is also being e-mailed to the State Commissioner's whose e-mails are available with CCPD office.

5. This may please be dealt on **Priority/Time Bound basis.**

6. I would like to inform that highlight in Section 79 of the RPwD Act 2016 mandates the State/UTs to appoint State Commissioner for Persons with Disabilities who would serve as the watchdog to monitor the implementation of the provisions of the Act schemes and programmes meant for PwDs. State Commissioners are requested to send a information whether State Commissioner is Independent or holding additional charge.

7. **All the State/UT's Commissioners are requested to send a Soft copy/ Hard copy of the matter for inclusion in the Annual Report 2018-2019 in English and Hindi through E-mail/CD.**

Yours faithfully,

Encl: As above

(Rakesh Kumar Rao)
Dy. Chief Commissioner